



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 24.03.2021

1-थाना बिसरख पुलिस व एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला 25 हजार रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी, 01 तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 23.03.2021 को थाना बिसरख पुलिस व एसटीएफ द्वारा 25 हजार रूपये के इनामी वांछित अभियुक्त अमरदीप गिरि उर्फ शिवा पुत्र शान्ति स्वरुप निवासी ग्राम खटकी थाना किला परिक्षितगढ जिला मेरठ को वैभव हैरिटेज सोसाइटी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु0अ0सं0 129/2020 धारा 147/148/149/307/482/115/34 भा0द0वि0 मे वांछित चल रहा था। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कार0 315 बोर व चोरी की एक स्कूटी बिना नम्बर बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण:

अमरदीप गिरि उर्फ शिवा पुत्र शान्ति स्वरुप निवासी ग्राम खटकी थाना किला परिक्षितगढ जिला मेरठ ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 129/2020 धारा 147/148/149/307/482/115/34 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 186/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1. चोरी की 01 स्कूटी बिना नम्बर
2. 01 तमंचा व 03 जिन्दा कार0 315 बोर



2- थाना बिसरख पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.03.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/2020 धारा 354 /354क / 354ख भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त देव्यांश पुत्र सुशीलचन्द श्रीवास्तव निवासी दिव्यनगर कालोनी गोरखपुर वर्तमान पता इन्दिरापुरम गाजियाबाद को तिगरी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

देव्यांश पुत्र सुशीलचन्द श्रीवास्तव निवासी दिव्यनगर कालोनी गोरखपुर हालपता इन्दिरापुरम गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 183/2021 धारा 354/354क/354 ख भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर



3-थाना बिसरख पुलिस व बदमाशो के बीच मुठभेड के दौरान 06 लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोसा0 स्पलैण्डर, 01 आटो, 03 तमन्चे 315 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 अवैध चाकू, 01 टार्च आदि बरामद।

दिनांक 23.03.2021 को थाना बिसरख पुलिस व लुटेरे बदमाशो के बीच 6 प्रतिशत प्लाट पर हुयी मुठभेड के दौरान लुटेरेअभियुक्तो 1. आशू पुत्र बाबू निवासी ग्राम निनाना थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत (गोली लगने से घायल)को मय एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कार0 2. सूरज पुत्र सहदेव नि0 ग्राम निनाना थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत मय एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कार0 315 बोर 3. गौरव पुत्र दिनेश नि0 ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट जिला बागपत मय एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कार0 315 बोर 4. नाम अमित पुत्र जसवीर नि0 ग्राम निनाना थाना को0 बागपत जिला बागपत मय एक अवैध चाकू व 02 आला नकब 5. मुजम्मिल पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम बैगमपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर मय एक अवैध चाकू व 01 आला नकब व 01 टार्च व एक प्लास 6. सिकन्दर पुत्र फतेह मोहम्मद नि0 ग्राम बैगमपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर मय एक अवैध छुरा, एक आला नकब के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. आशू पुत्र बाबू नि0 ग्राम निनाना थाना को0 बागपत जिला बागपत (पुलिस मुठभेड में घायल)।
2. सूरज पुत्र सहदेव नि0 ग्राम निनाना थाना को0 बागपत जिला बागपत।
3. गौरव पुत्र दिनेश नि0 ग्राम निरपुड़ा थाना दोघट जिला बागपत।
4. नाम अमित पुत्र जसवीर नि0 ग्राम निनाना थाना को0 बागपत जिला बागपत।
5. मुजम्मिल पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम बैगमपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
6. सिकन्दर पुत्र फतेह मोहम्मद नि0 ग्राम बैगमपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त आंशु उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 189/2021 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 228/2020 धारा 188 भादवि थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।
4. मु0अ0सं0 229/2020 धारा 13 जी एक्ट कोतवाली बागपत जिला बागपत।

अभियुक्त सुरज उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 190/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 99/2020 धारा 377 भादवि व 5 पोक्सो अधि0 थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।
4. मु0अ0सं0 680/2020 धारा 452/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।
5. मु0अ0सं0 693/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम एक्ट थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

अभियुक्त गौरव उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 191/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अमित उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 192/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त मुज्जमिल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 193/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त सिकन्दर उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 194/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 मो0सा0 स्पलैण्डर
2. 01 आटो 03 तमन्चे 315 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 03 चाकू व 01 प्लास व 04 आला नकब व 01 टार्च



4- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा 02 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से दो अवैध चाकू व लूट का 01 मोबाइल बरामद।

दिनांक 23.03.2021 को थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. दीपक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रियावैन थाना जरीफ नगर जिला बदायु वर्तमान पता हरवीर का मकान ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 थाना सेक्टर 49 नोएडा 2. रामभजन पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम बन्नी थाना बिलसी जिला बदायु उ0प्र0 वर्तमान पता-नीतू का मकान ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 थाना सेक्टर 49 नोएडा उ0प्र0 को सेक्टर 50 मार्केट के वेडिंग जोन टी पाइंट से मय लूटे गये 01 मोबाइल फोन रियल मी व 02 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण:

1. दीपक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम करियावैन थाना जरीफ नगर जिला बदायु वर्तमान पता हरवीर का मकान ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 थाना सेक्टर 49 नोएडा
2. रामभजन पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम बन्नी थाना बिलसी जिला बदायु उ0प्र0 वर्तमान पता-नीतू का मकान ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 थाना सेक्टर 49 नोएडा उ0प्र0

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 176/2021 धारा 392/411 भादवि0 बनाम दीपक व रामभजन थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 178/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम दीपक थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं0 179/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम रामभजन थाना सेक्टर 49 नोएडा गोतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 मोबाइल फोन रियल मी कम्पनी
2. 02 अवैध चाकू



5- थाना बीटा 2 पुलिस व बदमाशो के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 02 बदमाश गोली लगने से घायल व कांबिंग के दौरान 01 अन्य बदमाश गिरफ्तार, अभियुक्तो के कब्जे से तीन तमंचे मय दो जिंदा कारतूस, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, घटना मे प्रयुक्त पेंचकस हथौड़ी, घटना मे प्रयुक्त कार स्विफ्ट, लूटे गये 9000 रू0 बरामद।

दिनांक 23.03.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस व बदमाशो के बीच चूहडपुर अंडर पास से आगे सर्विस रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश 1. बॉबी पुत्र कंछिलाल वाल्मीकि निवासी मकनपुर इंदिरापुरम गाजियाबाद 2. अर्जुन पुत्र पान सिंह निवासी चौखुटिया थाना भतरोज खां जिला अल्मोड़ा गोली लगने से घायल व 01 अन्य बदमाश रोहित पुत्र हरीश शर्मा निवासी पाऊ बाजारा गांव भरनो जिला पौड़ी उत्तराखण्ड वर्तमान पता 14-ए न्याय खंड प्रथम इंदिरापुरम थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से तीन तमंचे, 03 खोखा कार0 व दो जिन्दा कारतूस व लूटे गये 9000 रू0 व लूट की घटना में प्रयुक्त हथौड़ी, पेचकस व घटना मे प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा अपनी गाड़ियों में सवारियों को लिफ्ट देकर उनसे नगदी गहने छीन कर व उनके एटीएम छीनकर व पिन पूछकर खाते से रुपये निकालने का कार्य करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. बाँबी पुत्र कंछीलाल वाल्मीकि निवासी मकनपुर इंदिरापुरम गाजियाबाद (पुलिस मुठभेड में घायल)।
2. अर्जुन पुत्र पान सिंह निवासी चौखुटिया थाना भतरोज खां जिला अल्मोड़ा (पुलिस मुठभेड में घायल)।
3. रोहित पुत्र हरीश शर्मा निवासी पाऊ बाजारा गांव भरनो जिला पौड़ी उत्तराखण्ड वर्तमान पता 14-ए न्याय खंड प्रथम इंदिरापुरम थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद।

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त बाँबी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 413/20 धारा 380,411 भादवि थाना नेबसराय दक्षिण दिल्ली
2. मु0अ0सं0 34727/18 धारा 379,411 भादवि थाना निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली
3. मु0अ0सं0 906/2004 धारा 25,54,59 ए0एक्ट नई दिल्ली
4. मु0अ0सं0 97/2005 धारा 399,402 भादवि व 25 ए0 एक्ट नई दिल्ली
5. मु0अ0सं0 840/2004 धारा 356,379 भादवि नई दिल्ली
6. मु0अ0सं0 22/2005 धारा 382,34 भादवि नई दिल्ली
7. मु0अ0सं0 40/2002 धारा 356,379 भादवि नई दिल्ली
8. मु0अ0सं0 921/1997 धारा 356,379,34 भादवि नई दिल्ली
9. मु0अ0सं0 12/2005 धारा 392,397 भादवि नई दिल्ली
10. मु0अ0सं0 161/21 धारा 394,411 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0सं0 163/21 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर
12. मु0अ0सं0 164/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 161/21 धारा 394,411 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 163/21 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 165/21 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना बीटा 2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त रोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 161/21 धारा 394,411 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे०नो० गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 163/21 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे०नो० गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०सं० 166/21 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना बीटा 2 ग्रे०नो० गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1. तीन तमंचे मय दो जिंदा कारतूस व तीन खोखा कारतूस 315 बोर
2. घटना मे प्रयुक्त पेंचकस हथौड़ी
3. घटना मे प्रयुक्त कार स्विफ्ट बिना नम्बर प्लेट जिसका नम्बर डीएल 1 जेडसी 7141,
4. लूटे गये 9000 रू० नगद

6-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.03.2021 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 141/2021 धारा 376/342/506 भादवि० 3/4 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त ओमकार पाण्डेय पुत्र अवधेश पाण्डेय निवासी सत्यनरायन राय का मकान सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा गौतमबुद्धनगर को सदरपुर से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण:

ओमकार पाण्डेय पुत्र अवधेश पाण्डेय निवासी सत्यनरायन राय का मकान सदरपुर सैक्टर 45 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०सं० 141/2021 धारा 376/342/506 भादवि० 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

